प्रेस नोट **दिनांक 06/07/2026**

थाना साइबर क्राइम, मऊ पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से 20 गुमशुदा मोबाइल फोन कीमत लगभग 5,15,000/- रूपये (पाँच लाख पंद्रह हजार रुपये) बरामद कर उनके स्वामियों को किए गए सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम, मऊ द्वारा CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के माध्यम से गुम हुए मोबाइल फोनों की खोज हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई। थाना साइबर क्राइम, मऊ के प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह के नेतृत्व में साइबर टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप कुल 20 गुमशुदा मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कुल कीमत 5,15,000/-रूपये (पाँच लाख पंद्रह हजार रुपये) बरामद किए गए। बरामद सभी मोबाइल फोनों को विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। बरामद मोबाईल में vivo के 05 अदद मोबाइल, रेडमी के 05 अदद मोबाइल, Samsung के 05 अदद मोबाइल, रियलमी के 03 अदद मोबाइल व ओप्पो कम्पनी के 02 अदद मोबाइल बरामद किये गए। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर सभी मोबाइल स्वामियों में खुशी की लहर दिखाई दी तथा सभी मोबाइल स्वमामियों ने थाना साइबर क्राइम मऊ, जनपद मऊ पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यशैली की सराहना की।

जनपद मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है कि मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा निकटतम पुलिस थाना/साइबर क्राइम थाना से संपर्क करें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

फ्रॉड किये गये 18201 /- (अठारह हजार दो सौ एक) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के तथा क्षेत्राधिकारी घोसी के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये फ्रॉड किये गये 18201/- (अठारह हजार दो सौ एक रुपये) पीड़ित, बृजेश कुमार पुत्र सूर्यनाथ निवासी ग्राम देवकली विशुनपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ 18201/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

आज दिनांक 06.07.2026 को तहसील मधुबन में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर एव उपजिलाधिकारी मधुबन, क्षेत्राधिकारी मधुबन के साथ संयुक्त रूप से जन समस्याओं की सुनवाई की जा रही है, समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद संबंधी मामलों में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त जांच कर निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 06.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 31 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1100 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 383 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन एवं पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा मेधावी छात्र-छात्राओं का किया उत्साहवर्धन, विद्यालय परिसर में किया पौधरोपण-

जिलाधिकारी मऊ एवं पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, फतेपुर मंडाव का भ्रमण किया गया। इस दौरान विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें शिक्षा के प्रति समर्पित रहने, अनुशासन का पालन करने तथा जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया गया।

विद्यालय में उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी गईं। अधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता ही समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है तथा सभी बच्चों को लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

इसके उपरांत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया गया, जिससे स्वच्छ एवं हरित वातावरण का निर्माण हो सके।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

प्रेस नोट

06/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण -

1. थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वार वारंटी अभियुक्त बृजलाल पुत्र चतुरी निवासी अनिरहा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
2. थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मुन्ना चौहान पुत्र भोला चौहान निवासी फतेहपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।
3. थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रामनगीना पुत्र रामनक्षत सिंह निवासी भावनपुरा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 06.07.2026 को 02 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय विशेष न्यायक मजिस्ट्रेट कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना चिरैयाकोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 190/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी नौशाद पुत्र गफ्फार निवासी जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को धारा उपरोक्त में न्यायालय उठने तक की सजा व 1100 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 06.07.2026 को 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी उमेश सिंह पटेल पुत्र संपत निवासी महावलपुर थाना घोसी जनपद मऊ को धारा उपरोक्त में न्यायालय उठने तक की सजा वह ₹1100 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया